राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

विविध प्रार्थना पत्र
अवमानना संख्या– 35 / 2025
(अपील संख्या :– 3605 / 2022)

कैलाश चन्द शर्मा

–अपीलार्थी / प्रार्थी

बनाम

नितीन जैन, निदेशक, इंजिनियरिंग स्टॉफ ट्रेनिंग इंस्टीटिश्यून निदेशालय, संस्थान पथ, झालाना डूंगरी, जिला जयपुर एवं अन्य।

–अप्रार्थीगण / प्रत्यर्थीगण

विनिश्चय की दिनांक : 22.08.2025

उपस्थित :
प्रार्थी की ओर से : श्री रघुनंदन शर्मा, अभिभाषक।
अप्रार्थीगण की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति. राजकीय अभिभाषक।

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अवमानना याचिका में उभय पक्ष को सुना जाकर आदेश दिनांक 28.07.2025 द्वारा प्रकरण अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में संदर्भित करने हेतु अधिकरण के रजिस्ट्रार को प्रेषित किया गया। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से दिनांक 04.07.2025 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी की पदोन्नति के संबंध में अधिकरण के आदेश दिनांक 02.05.2024 की पालना में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.07.2025 को आयोजित कर अपीलार्थी की पदोन्नति के संबंध में विचार किया गया और एक पद वर्ष 2020–21 में सुरक्षित रखे जाने की अभिशंषा डीपीसी द्वारा की गई। अतः प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय को संदर्भित नहीं किए जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन पत्र के साथ डीपीसी की बैठक दिनांक 16.07.2025 की कार्यवाही विवरण को संलग्न प्रस्तुत किया है।

2. उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर आज दिनांक 22.08.2025 को पुनः उभय पक्ष को सुना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी

विभाग द्वारा अधिकरण के आदेश की अनुपालना नहीं की गई है और उन्होंने प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय में संदर्भित किये जाने का निवेदन किया है।

3. हमनें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न डीपीसी बैठक की कार्यवाही विवरण दिनांक 18.07.2025 का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कैलाश चंद शर्मा, वरिष्ठ सहायक के लिए सहायक प्रशासनिक अधिकारी का एक पद वर्ष 2020–21 के लिए सुरक्षित रखे जाने की अभिशंषा की गई है, जबकि अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2024 में यह स्पष्ट है कि यदि अपीलार्थी निर्धारित अनुभव/अन्य शर्तें पूरी करता है एवं पदोन्नति के लिए पात्र पाया जाता है, तो उसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे। डीपीसी की कार्यवाही विवरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस संबंध में कोई विचार नहीं किया गया। डीपीसी द्वारा किसी कार्मिक के पात्र होने की दशा में पदोन्नति की अभिशंषा की जाती है या विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण लम्बित होने/निलम्बन होने की दशा में डीपीसी की अभिशंषा को सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है अथवा रिकार्ड अपूर्ण होने की दशा में प्रकरण को डेफर कर पद सुरक्षित रखा जाता है। इस संबंध में कोई भी कार्यवाही डीपीसी द्वारा नहीं की गई है।

4. अतः हम यह पाते है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेश दिनांक 02.05.2024 की पूर्ण अनुपालना नहीं की गई है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.07.2025 खारिज किया जाता है और रजिस्ट्रार, अधिकरण को निर्देश दिये जाते है कि अधिकरण द्वारा अवमानना याचिका में पारित आदेश दिनांक 28.07.2025 की पालना की जावे।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)